| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | अहक की त |
|---|---|---|
| प.7.11.5 | पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट अभियान में पेश हुई। विभाजन योजना प्रस्ताव प्राप्त, जिस पर पक्षकारान को सुना गया। पक्षकारान द्वारा निवेदन किया कि हम पक्षकारान को बंटवारे में शामिल भागानुसार 2 बराबर ही है हम पक्षकारान विभाजन योजना प्रस्ताव से सहमत है अतः विभाजन योजना प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री पारित फरमाये जाने निवेदन पर अंतिम डिक्री जारी की जाती है पत्रावली निर्णीत होकर संधारण में जमा हो।<br><br>निर्णय सुनाया गया।<br><br>सदस्य<br>लोक अदालत, कोटड़ा<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>कोटड़ा (जिला उदयपुर) | |

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटड़ा जिला उदयपुर (राज.)

## प्रारम्भिक वाद डिक्री

पीठासीन अधिकारी: श्री प्रमोद कुमार जैन आ.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 04/2008

## वादी पक्ष

श्री अणदा पिता पूना गमेती निवासी मण्ड़वाल तहसील कोटड़ा वगैरह।

## प्रतिवादी पक्ष

श्री नाना पिता भूरा गमेती निवासी मण्ड़वाल तहसील कोटड़ा वगैरह।

वाद बाबत : धारा 53,88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी की ओर से : श्री हामिद हुसैन कुरेशी

प्रतिवादी की ओर से : श्री सुरेश चन्द्र त्रिवेदी

पत्रावली अन्तिम निपटारे के लिये आज दिनांक 19.12.2008 को श्री प्रमोद कुमार जैन आर.ए.एस. के समक्ष प्रस्तुत होने पर वाद डिक्री किया जाता है कि : वादीगण का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा मण्ड़वाल पटवार क्षेत्र मामेर तहसील कोटड़ा जिला उदयपुर में स्थित आराजी नम्बर 58/2 रकबा 0–09 बीघा, 59 रकबा 0–03 बीघा, 60 रकबा 0–17 बीघा, 61 रकबा 0–01 बीघा, 62 रकबा 0–03 बीघा, 63/1 रकबा [illegible] बीघा, 63/2 रकबा 3–13 बीघा, 64 रकबा 3–06 बीघा, 67 रकबा 6–10 बीघा, 69 रकबा [illegible] बीघा, 70 रकबा 2–10 बीघा कुल किता 11 कुल रकबा 20–08 बीघा भूमि में 1/3 हिस्से का वादीगण श्री अणदा, गला, उदा पिता पूना गमेती को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार 1/9 हिस्से का प्रतिवादी संख्या आठ से तेरह चूना, [illegible], कमला, लसु, अणदु पिता अना, श्रीमति गजरी पत्नि अना गमेती को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष प्रतिवादी संख्या एक से सात श्री नाना, जीवा, [illegible], [illegible], सुंदरी, नवली, वारकी पिता भूरा गमेती प्रत्येक का 1/9 हिस्सा घोषित किया जाता है। तदनुसार मौके पर वादग्रस्त आराजियात का विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार कोटड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजियात का दोनो पक्षकारानों की उपस्थिति में कब्जे काश्त एवं किस्म भूमि को मध्यनजर रखते हुए विभाजन किया जाकर विभाजन योजना प्रस्ताव तैयार कर 15 योम में प्रस्तुत करें।

उप खण्ड अधिकारी
कोटड़ा (जिला उदयपुर)